

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1822 / 2015 / अलवर
2. अपील संख्या – 1823 / 2015 / अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, अलवर.
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स प्रकाशचन्द, मुकेशचन्द, दिल्ली.

.....प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या – 1824 / 2015 / अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-द्वितीय, वृत्त-प्रतिकरापवंचन, अलवर.
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स प्रकाशचन्द, मुकेशचन्द, दिल्ली.

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री शीतांशु शर्मा, उप राजकीय अभिभाषक.

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.गुप्ता, अभिभाषक.

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 15.05.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम/द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिन्हे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत निम्न तालिकानुसार आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है।
2. इन तीनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर	शास्ति
		क्रमांक	दिनांक			
1.	1822 / 2015	138 / अ.प्रा.-I / RVAT	15.05.15	22.04.2014	37,207	1,48,828
2.	1823 / 2015	141 / अ.प्रा.-I / RVAT	15.05.15	22.04.2014	39,697	1,58,788
3.	1824 / 2015	139 / अ.प्रा.-I / RVAT	15.05.15	22.04.2014	40,942	1,63,768

4. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक अधिकारी घट-प्रथम/द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिन्हें आगे "जांच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 19.04.2014 को वाहन संख्या क्रमशः RJ-19-GB-1938, RJ-19-GB-7075 एवं RJ-19-GB-7125 को बहरोड से अलवर रोड पर रोक कर चैक किया गया। वक्त जांच वाहनों में माल बिनौला वनज क्रमशः मैसर्स सिंगल ट्रेडर्स, तिजारा (अलवर), मैसर्स गणपति

↓

निरन्तर.....2

उद्योग, खैरथल (अलवर) के लिए परिवहनित करना पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालकों ने वाहनों में लदे माल से संबंधित दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी एवं कांटा पर्चियाँ पेश की। जांच अधिकारी द्वारा पूछने पर वाहन चालकों ने माल का परिवहन औरंगाबाद (महाराष्ट्र) से अलवर के लिए परिवहनित किया जाना बताया गया। इस प्रकार जांच अधिकारी ने प्रथम दृष्टया कूट रचित दस्तावेजों से माल का परिवहन मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(6) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर अभियोग बनाकर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन किया। जांच अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारीगण पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत कर व शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अपने पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.05.2015 पारित करते हुए कर व शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा ये तीनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।
5. अपीलार्थी विभाग द्वारा विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज एवं वाहन चालक के बयानों में भिन्नता पाई गई। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा करापवंचन की दृष्टि से बोगस दस्तावेजों से माल का परिवहन किया जा रहा था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने विधिक रूप से कर व शास्ति का आरोपण किया है, जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर विधिक भूल की है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि व्यवहारी द्वारा माल महाराष्ट्र से खरीदकर दिल्ली के लिए परिवहन किया जा रहा था, तत्पश्चात् परिवहन के दौरान ही माल का विक्रय अलवर (राजस्थान) स्थित फर्म को हो जाने के कारण व्यवहारी ने माल का केन्द्रीय विक्रय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत करते हुए नई बिल्टी व बिल जारी कर दिया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा किसी प्रकार के करापवंचन का कार्य नहीं किया है। उक्त माल गमनागमन के दौरान ही अलवर (राजस्थान) के व्यापारियों से सौदा हो जाने के कारण धारा 6(2) के तहत विक्रय किया गया है। माल के महाराष्ट्र से दिल्ली के खरीददार व्यवसायी ने इस माल की स्वयं डिलीवरी नहीं ली है अर्थात् Constructive delivery नहीं ली है, बल्कि परिवहन (Transit) के दौरान ही क्रेता व्यापारियों से इस माल के क्रय आदेश मिलने के कारण इनका बेचान धारा

6(2) में किया गया है। इसके लिए विक्रयकर्ता से "ई-1" एवं खरीददार से "सी" फार्म प्राप्त कर प्रस्तुत किए हैं। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा माल का क्रय औरंगाबाद (महाराष्ट्र) से किया जाकर परिवहन किया जा रहा था। जांच अधिकारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेजात् की जांच पर पाया कि माल का परिवहन अलवर के लिए किया जा रहा है, जबकि वाहन चालक/माल प्रभारी के बयानों से स्पष्ट होता है कि माल का परिवहन दिल्ली के लिए किया जा रहा था। मूल रूप से उक्त माल दिल्ली के लिए ही क्रय किया गया था, परन्तु रास्ते में माल का विक्रय हो जाने के कारण वाहनों का Movement अलवर के तिजारा व खेलथल हेतु किया जा रहा था।

8. सीएसटी अधिनियम की धारा 6(2) में प्रावधान cascading effect of multiple taxation से बचाव के लिए किया गया है। यदि कोई पश्चात्वर्ती बिक्री धारा 6(2) की शर्तों को पूर्ण करती है तो उसे कर से छूट प्रदान की जाती है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के उपबन्ध निम्न प्रकार हैं:-

"6(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (1A), where a sale of any goods in the course of inter-State trade or commerce has either occasioned the movement of such goods from one State to another or has been effected by a transfer of documents of title to such goods during their movement from one State to another, any subsequent sale during such movement effected by a transfer of documents of title to such goods:-

(A) to the government or

(B) To a registered dealer other than the Government and that apart, the sale of the goods effected must be of the description referred to in sub-section (3) of section 8, Shall be exempt from tax under this Act."

उक्त धारा के पठन से स्पष्ट है कि यदि कोई व्यवसायी विक्रयकर्ता से ई-1 एवं खरीददार से सी-फॉर्म प्राप्त कर प्रस्तुत करता है तो वह उक्त धारा के अन्तर्गत कर से छूट की पात्रता रखता है।

9. इससे स्पष्ट है कि परिवहनित किये जा रहे माल का विक्रय व्यवहार किये जाने हेतु क्रेता सक्षम है। इस संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लि., जयपुर बनाम एसीटीओ व मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेज बनाम सहायक आयुक्त (2007) 28 एसटीटी 131 में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 6(2) के तहत विक्रय व्यवहार हेतु क्रेता सक्षम है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय S.B. Sales Tax Revision Petition No. 29 of 2014 मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेज बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 01.08.2007 में स्पष्ट किया गया है कि क्रेता व्यवसायी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6(2) के तहत माल को गमनागमन के दौरान ही विक्रय कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में परिवहनित माल के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेजात् यथा बिल,

बिल्टी व चालान होने के कारण व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकती।

10. प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि कोई व्यवहारी विक्रयकर्ता से ई-1 एवं खरीददार से सी-फॉर्म प्राप्त कर प्रस्तुत करता है तो वह केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत छूट की पात्रता रखता है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उपर्युक्त अंकित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में आरोपित कर व शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

12. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य